ऑन लाईन नं.RCMS2021/155

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री मदनलाल चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 28, प्रियदर्शनी स्कूल के पास, सूरतगढ –नमूना विक्रेता एवं मालिक– **मै0** चौधरी ऑयल मिल, भग्गुवाला कुंआ के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 26(2)(5)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 08.06.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को दोपहर बाद 2.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री मदनलाल चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 28, प्रियदर्शनी स्कूल के पास, सूरतगढ, मैसर्स चौधरी ऑयल मिल, भग्गुवाला कुंआ के पास सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री मदनलाल चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 28, प्रियदर्शनी स्कूल के पास, सूरतगढ, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में **आटा नारायण भोग**, 05–05 किलो के 70 कट्टे विकय हेतु रखा थे। शुद्वता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विकेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विकता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **आटा नारायण भोग**, 05–05 किलो के 70 में से 01 कट्टा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

05 किलो का 01 कट्टा खोलकर , उसमें से 02 किलो, आटा नमूने वास्ते लिए एवं खाली कट्टा लेबल की जांच हेतु लिए, जिसके पेटे 50/—रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीदशुदा **आटा नारायण भोग,** 05—05 किलो के 70 कट्टे मे से 01 कट्टा 05 किलों का 01 कट्टा खोलकर, उसमें से 02 किलो आटा नमूने वास्ते लिए एवं खाली कट्टा लेबल नमूनें लिये। जिसको एकरूप करके चार डिब्बो में प्रत्येक में बराबर—बराबर मात्रा में भरकर बतौर एयरटाईट ढक्कन से बंद कर प्रत्येक डिब्बे पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के—1090** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग—अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के—1090** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार—चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण **के—1090 आटा नारायण भोग** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री मदन लाल चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी,ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :—एलएस/212/एक्ट/2020/213 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1090 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री मदनलाल चौधरी पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 28, प्रियदर्शनी स्कूल के पास, सूरतगढ द्वारा अमानक स्तर **Atta (Narayan Bhog)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :— **प्रारम्भिक आपित्तयां**

यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्व जो परिवाद प्रस्तुत किया है वह सूरतगढ न्यायालय से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. परिवाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है।
2. परिवाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित तथ्य स्वीकार है।
3. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए है और न ही आटा नारायण भोग पांच पांच किलो के 70 गट्टे में से एक गट्टा 5 किलो का एक गट्टा खोलकर उसमें से दो किलो आटा एवं खाली गट्टा लेबल की जांच की गई न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए और न ही प्रत्येक भाग को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया।
4. यह कि परिवाद की मद संख्या 04 में कथन जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है । जब फर्द ही प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो इस चरण में अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के आशय से इस मद में मिथ्या कथन अंकित किए गए है।
5. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 05 में वर्णित कथनों की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है।
6. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित कथनों की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है।
7. यह कि परिवाद पत्र की मद संख्या 07 में वर्णित कथन जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और नही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवादपत्र की मद संख्या 6 में केवल मात्र मिसब्राण्ड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र अपूर्ण पता अंकित किया गया है जो कोई अपमिश्रित नहीं है इससे किसी प्रकार से मनुष्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त परिवादपत्र में केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है।
8. यह कि परिवादपत्र की मद संख्या 8 में वर्णित तथ्य में कोई स्पष्ट विवरण नहीं होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है एव न ही इस चरण में प्रार्थी के विरूद्व क्या आरोप है इसका कोई विवरण अंकित है।
9. यह कि परिवादपत्र. की मद संख्या 9 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के खोवा का विक्रय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान से तो केवल आटा नारायण भोग के सैम्पल ही लिए गए थे जिसका खोवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लधंन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 52 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

अतः जवाव परिवादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पता है कि प्रार्थी के विरूद्व कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Atta (Narayan Bhog)** का सैम्पल **के–1090** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस / 212 / एक्ट / 2020 / 213 दिनांक 13.11.2020 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि परिवाद में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है स्वीकार नहीं है। गवाहन में कोई हस्ताक्षर प्रार्थी के समक्ष नहीं करवाए गए है और न ही आटा नारायण भोग पांच पांच किलो के 70 गट्टे में से एक गट्टा 5 किलो का एक गट्टा खोलकर उसमें से दो किलो आटा एवं खाली गट्टा लेबल की जांच की गई न ही नमूना जांच की सूचना प्रार्थी को दी गई व न ही फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाए गए और न ही प्रत्येक भाग को खाकी कागज में लपेट कर गोंद से चिपकाया गया। फर्द रिपोर्ट प्रार्थी के सामने तैयार नहीं की गई तो उसमें अंकित कथनों से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व झूठा प्रकरण बनाने के लिए मिथ्या कथन अंकित किए गए है।प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और नही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। परिवाद पत्र में आटा केवल मात्र मिसब्राण्ड पाया गया अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावट खद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र अपूर्ण पता अंकित किया गया है जो कोई अपमिश्रित नहीं है इससे किसी प्रकार से मनुष्य को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त परिवादपत्र में केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्व जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के खोवा का विक्रय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान से तो केवल आटा नारायण भोग के सैम्पल ही लिए गए थे जिसका खोवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का किसी प्रकार से उल्लधंन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी पर धारा 52 में निर्धारित जुर्माना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त तथ्यों के आधार पर परिवादपत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी के विरूद्व कोई अपराधिक कृत्य किया गया है तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर पत्रावली का निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Atta (Narayan Bhog)"Code No and Sr. No. K-1213 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(i)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त मदनलाल चौधरी को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त मदन लाल चौधरी को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Atta (Narayan Bhog)**" खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।